सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 191 राँची, गुरुवार, 26 मार्च, 2026 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

2 फ़रवरी, 2024

संचिका सं0-04/आ0-१३/२०१३-248--श्री अभय शंकर (राज्य शिक्षा सेवावर्ग-2), तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक,जामताड़ा एवं पूर्वी सिंहभूम व जिला शिक्षा पदाधिकारी,गढ़वा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय संकल्प सह ज्ञापांक-**1066** दिनांक-**02-06-2020** द्वारा झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, **2016** के नियम-**17** एवं **14** के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें संचालन-सह-जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-**154**(अनु0) दिनांक-**09-12-2020** द्वारा प्रतिवेदित जाँच निष्कर्ष में आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री अभय शंकर को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-**1329** दिनांक- **14-07-2021** के द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया:-

(1)निंदन,(2) **03** वर्षों तक असंचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि पर रोक (जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभों पर नहीं पड़ेगा)।

2. श्री अभय शंकर के दिनांक-28-02-2023 को वार्द्धक्य सेवानिवृति के फलस्वरूप अधिरोपित 03 वर्षों तक असंचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अप्रभावी हो गया है, जिसके संदर्भ में श्री अभय शंकर से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में वित्त विभाग, झारखण्ड,रांची एवं कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राज भाषा विभाग,झारखण्ड,रांची से परामर्श प्राप्त किया गया ।

3. प्राप्त परामर्श में कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राज भाषा विभाग,झारखण्ड,राँची के पत्रांक-3606 दिनांक-13-06-2022 के द्वारा झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के तहत शास्ति अधिरोपित करते समय सेवानिवृति एवं वेतनवृद्धि की तिथि पर विचार किये जाने के संबंध में संसूचित निदेश यथा-"... असंचयात्मक रूप से वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को अधिरोपित करते समय विशेष रूप से देख लेना चाहिए कि संबंधित सरकारी सेवक के सेवानिवृति के पूर्व ही वेतन वृद्धि पुनर्स्थापित हो जाय, ताकि असंचयात्मक रूप से वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड का कुप्रभाव संबंधित सरकारी सेवक के पेंशन पर न पड़े।

दोषी सरकारी सेवक की सेवानिवृति से एवं वेतन वृद्धि की तिथि को ध्यान में नहीं रखने के फलस्वरूप शास्ति अप्रभावी हो जाता है तथा मामले न्यायालयी वाद से भी आच्छादित हो जाते हैं, जिसके कारण विभाग को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।"के आलोक में 03 वर्षों तक असंचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अप्रभावी हो जाने के कारण अधिसूचना में संशोधित का परामर्श दिया गया।

4. उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1329 दिनांक-14-07-2021 के द्वारा संसूचित "निन्दन"की शास्ति यथावत्र खते हुए "03 वर्षों तक असंचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि पर रोक (जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभों पर नहीं पड़ेगा)" की शास्ति को विलोपित किया जाता है।

5.प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(कुमुद सहाय),

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 191 - 50